

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ.13(607)परावि / प्रशा-2 / ग्रासे / शि.जांच / निल-बहाल / 10 / पार्ट-iv / 2794 जयपुर, दिनांक 22/06/18

:आदेश:

कार्मिक (क-3)विभाग के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 के क्रम में तीन वर्ष से अधिक अवधि से निलम्बित चल रहे लोक सेवकों को बहाल किये जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में पुनर्विलोकन समिति की बैठक दिनांक 19.06.2018 में लिये गये निर्णय की पालना में मा0 विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय के अध्यक्षीन निम्नलिखित लोक सेवकों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है :-

क्र.स.	नाम अधि./कर्मचारी	पद	वर्तमान मुख्यालय
1	2	3	4
1.	श्री इन्द्रजीत सिंह	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद श्रीगंगानगर
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद अजमेर
3	श्री मुकेश कुमार दीक्षित	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद धौलपुर
4	श्री विनोद तोषनीवाल	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाडा
5	श्री अमरचन्द नुवाल	वरिष्ठ लिपिक	पं0स0 सुवाणा, जिला भीलवाडा
6	श्री ऋषि कुमार	ग्राम सेवक (ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद चूरु
7	श्री जगदेव सिंह	ग्राम सेवक (ग्रा.वि.अ.)	पं0स0 राजगढ, जिला चूरु
8	श्री बिहारी लाल भार्गव	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद चूरु
9	श्री शिवराज सिंह	हैण्ड पम्प मिस्त्री	पं0स0छीपाबडौद, जिला बांरा
10	श्री प्रीतम सिंह	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	पं0स0 सेवर, जिला भरतपुर
11	श्री जगत सिंह	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	पं0स0 नगर, जिला भरतपुर
12	श्री जवाहर सिंह	कार्यालय सहायक	पं0स0 कांमा, जिला भरतपुर
13	श्री हुक्मचन्द बैरवा	कनिष्ठ अभियन्ता	जिला परिषद उदयपुर
14	श्री मुकेश चन्द्र मोड पटेल	कार्यवाहक विकास अधिकारी (पं0प्र0अ0)	जिला परिषद बांसवाडा
15	श्री प्रेमसिंह माली	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद करोली
16	श्री बालूलाल काबरा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला परिषद चित्तौडगढ
17	श्री जगाराम	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	पं0स0 सुजानगढ जिला चूरु
18	श्री भीम सिंह	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जिला परिषद बांरा
19	श्री महेन्द्र सिंह मीना	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जि0प0सवाईमाधोपुर
20	श्री नरेन्द्र सिंह राजावत	ग्राम सेवक(ग्रा.वि.अ.)	जि0प0सवाईमाधोपुर


नोट:-उक्त लोक सेवकों को पुनर्विलोकन समिति की अभिशंषा की पालना में पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं ।
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-विशिष्ट सहायक, मा०मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज०, जयपुर
- 2-निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ।
- 3-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
- 4-जिला कलेक्टर संबंधित ।
- 5-मुख्य/अति०मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित ।
- 6-विकास अधिकारी, पं०स० संबंधित ।
- 7-संबंधित लोक सेवकों को पालनार्थ ।
- 8-संबंधित संस्थापन लिपिक (ग्राम विकास अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /हैण्डपम्प मिस्त्री) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त लोक सेवकों का अपराधकारिता किये जाने की पंचायत समिति से जिले की अन्य पंचायत समिति में एवं कनिष्ठ अभियन्ता तथा पंचायत प्रसार अधिकारी के संबंध में अपराधकारिता किये जाने की पंचायत समिति के संभाग से अन्य संभाग में पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- 9-रक्षित पत्रावली ।


**अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव**